

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सागवाडा
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत, न्याय आपके द्वार / केम्प कोर्ट)

नाम पीठासीन अधिकारी - श्री गोपाललाल खर्कट
श्री गोपालसिंह (आर०ए०एस०)
उपखण्ड अधिकारी सागवाडा

प्रकरण संख्या / / 2018

दायर दि० 3-5-18
फैसल दि० 3-5-18

श्री अनवान
बनाम श्री भूमिधारी तहसीलदार
सागवाडा
(वादी) कलाल खर्कट
(प्रतिवादी)

वादी श्री अनवान ने वाद प्रस्तुत कर
मोजा सरोदा के खाता नम्बर 216 जमाबन्दी सं० 2073-76
में अंकित स्वयं/पिता का नाम अन्नवतीलाल/लालजी
गलत दर्ज होने से संशोधन के लिए प्रार्थना पत्र आज शिविर में प्रस्तुत किया है
। प्रार्थना पत्र राजस्व वाद प्रकृति का होने से राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर कर
रिपोर्ट पटवारी/भूमिधारी प्राप्त की गई रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी का सही नाम अरतकुमार
पिता लालजी कलाल है लेकिन उक्त खाते में गलत नाम अन्नवतीलाल
दर्ज होने से संशोधन के लिए अभिशंसा की गई है ।
प्रार्थी द्वारा स्वयं/पिता का सही नाम अरतकुमार/लालजी कलाल
निर्गत होने के सम्बन्ध में राशनकार्ड/आधार कार्ड/मतदाता
पहचान पत्र एवं पंचायत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है ।

अतः रिपोर्ट भूमिधारी एवं प्रस्तुत दस्तावेज अनुसार वादी का वाद
स्वीकार किया जाता है । तहसीलदार दसागवाडा/गलियाकोट को आदेश
दिया जाता है कि मोजा सरोदा की जमाबन्दी संवत 2073-76
के खाता संख्या 216 में खातेदार/सहखातेदार का अंकित गलत
नाम अन्नवतीलाल में संशोधन कर सही नाम
अरतकुमार/लालजी दर्ज रेकार्ड किया जावे ।
निर्णयानुसार पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जाकर पत्रावली फैसल शुमार
हो नम्बर से कम हो ।

उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा
दसागवाडा (राज.)